UPEW010001112020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट/न्यायालय कक्ष संख्या–2, इटावा।

सत्र परीक्षण/परिवाद सं0–51/2020

खुशीराम प्रति सुरेश चन्द्र आदि

दि0–10.08.2021

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

मैनें पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

परिवाद पत्र के संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि परिवादी अनूसूचित जाति का धानुक जाति का व्यक्ति है। दिनांक–23/24.09.2019 को समय सुबह 12.00 बजे रात बबलू व मनोज कुमार उसके घर के अन्दर घुस आये और उसकी पुत्रवधू ममता को आंगन में सोते समय मुंह दबोच कर उसके साथ छेड़खानी करने लगे, चिल्लाने पर श्यामू, सुमित व रामू के दौड़ने पर बबलू व मनोज कुमार दीवाल कूदकर भाग गये। उसने तथा उसके लड़कों ने सुरेश चन्द्र से घटना की शिकायत की तो विपक्षीगण ने मां बहिन की गन्दी गन्दी गालियां देने लगे, मना किया तो उसके लड़को रामू, श्यामू अमित, सुमित को यह कहते हुये साले धानुकों बहुत दिमाग खराब हो गये, घर के अन्दर लात घूसों से मारापीटा। पुत्रवधू बचाने आयी, तो उसे किरन, सविता, नीरज ,लक्ष्मी, मंजू, सावित्री, सपना ने बाल पकड़कर मारा। घटना को गवाहान ने देखा व बचाया। विपक्षीगण धमकियां देकर चले गये। घटना की सूचना थाना व एसएसपी को दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी, तब यह परिवाद दायर किया।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों को परिवादी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0संहिता में किया है।

परिवादिनी के उक्त बयान को साक्षी सी0डब्लू0–1 ममता देवी, सी0डब्लू0–2 वीरेन्द्र सिंह ने अपने बयान धारा–202 द0प्र0संहिता से समर्थित किया और स्पष्टतः प्रस्तावित उपरोक्त अभियुक्तगण की भूमिका को स्पष्ट किया है।

परिवादी की ओर से एस0एस0पी0 को दिये गये प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, रजिस्टी रसीद,जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं।

परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0संहिता व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–202 द0प्र0संहिता में प्रस्तावित अभियुक्तगण बबलू एवं मनोज कुमार ने परिवादी की पुत्रवधू के साथ छेड़खानी करना, परिवादी एवं उसके लड़कों ने सुरेश चन्द्र से घटना की शिकायत की तो प्रस्तावित सभी अभियुक्तगण ने गन्दी गन्दी गालियां दी, अपमानजनक शब्द धनुका का प्रयोग कर अपमानित किया तथा जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

परिवादी द्वारा पस्तुत किये गये मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण बबलू एंव मनोज के विरूद्व प्रथम दृष्टया धारा–354, 323, 504, 506 भा0द0संहिता एवं धारा–3(1) (आरएस) एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट एवं अभियुक्तगण सुरेश चन्द्र, मुकेश कुमार, संजू, मलखान, रामवीर, किरन देवी, सविता देवी, नीरज देवी, लक्ष्मी देवी, मंजू देवी , सावित्री एवं सपना के विरूद्व प्रथम दृष्टया धारा–323, 504, 506 भा0द0संहिता एवं धारा–3(1) (आरएस) एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट के तहत

अपराध का मामला बनता हुआ पाया जाता है। अतः उन्हें उक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण बबलू एवं मनोज को धारा–354 323, 504, 506 भा0द0संहिता एवं धारा–3(1) (आरएस) एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट एवं अभियुक्तगण सुरेश चन्द्र, मुकेश कुमार, संजू, मलखान, रामवीर, किरन देवी, सविता देवी, नीरज देवी, लक्ष्मी देवी, मंजू देवी ,सावित्री एवं सपना को धारा–323, 504, 506 भा0द0संहिता एवं धारा–3(1) (आरएस) एससी/एसटी (पी0ए0) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु दिनांक–15.09.21 के लिये समन द्वारा तलब किया जाये। परिवादी धारा–204 दं0प्र0संहिता के अनुसार यथेष्ठ पैरवी अन्दर 10 दिन करें।

(सुरेश चन्द्र भारती)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी0ए0)एक्ट
न्यायालय,कक्ष संख्या–2,इटावा।
10.08.21